एक नजर में

अपंजीकृत चिकित्सकीय संस्थानों पर कार्रवाई

झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना के आदेश के परिपालन में जिले में संचालित अपंजीकृत चिकित्सकीय संस्थानों एवं अपात्र व्यक्तियों, झोलाछाप चिकित्सक पर कार्यवाही की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएस बघेल ने बताया कि विकासखंड रामा में 2 एफआईआर, विकासखण्ड पेटलावद में 1 एफआईआर दर्ज की गई। विकासखंड राणापुर तथा विकासखंड झाबुआ अंतर्गत बगैर पंजीयन संचालित 40 क्लीनिक संचालकों को नोटिस जारी कर क्लीनिक का संचालन बंद करवाया गया। साथ ही मध्यप्रदेश उपचर्या तथा रूजोपचार संबंधी स्थापना (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम सन 1973 यथा संशोधित 2022 के अंतर्गत क्लीनिक पंजीयन करवाने के निर्देश जारी किये गये।

शिविर में 230 आवेदनों का मौके पर किया निराकरण

झाबुआ। राजस्व के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किये जाने हेतु कलेक्टर नेहा मीना द्वारा शासन की मंशा अनुसार आम जन को राजस्व से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए पहल करते हुए प्रत्येक राजस्व न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत जिले में 26 जुलाई को 13 ग्राम पचायतों में विशेष राजस्व समाधान शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविरों द्वारा सभी 13 ग्राम पंचायतों में बी-1 वाचन कराया जाकर कुल 26 फौती नामांतरण के आवेदनों का त्वरित निराकरण कर कार्यवाही पूर्ण की गई। जिले में कुल 280 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 230 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया।

अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

इंदौर .क्षिप्रा थाना क्षेत्र के डकाच्या गांव में देर रात एक दर्दनाक हादसे में एग्रो कंपनी में कार्यरत युवक की जान चली गई . 32 वर्षीय पुष्पेन्द्र ठाकुर पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही पंप से बाहर निकला, एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई . पुष्पेन्द्र डकाच्या का ही निवासी था और रात करीब 11 बजे वह अपने वाहन में पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचा था . पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही वह मुख्य मार्ग की ओर मुड़ा, उसी दौरान तेज रफ्तार किसी अज्ञात वाहन ने उसे चपेट में ले लिया . टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुष्पेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई . घटना की सूचना पर क्षिप्रा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया . फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात वाहन की पहचान और तलाश शुरू कर दी है . परिजनों के मुताबिक पुष्पेन्द्र एक निजी एग्रो कंपनी में वाहन चालक के रूप में कार्यरत था और रोज की तरह काम निपटाकर घर लौट रहा था . अचानक हुए इस हादसे से परिवार में मातम पसरा है .

छात्रों को कॉपी, पेन वितरण

देपालपुर. सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने विद्यालय के छात्रों को उनकी अध्ययन करने की आवश्यकताओं की व्यवस्था अपने स्वयं के व्यय से करना सराहनीय कार्य है. उक्त उद्गार देपालपुर अनुविभागीय अधिकारी राकेश मोहन त्रिपाठी ने शासकीय उन्नत माध्यमिक विद्यालय चमन चौराहा पर शिक्षक पेड़ी के संचालक व विद्यालय के पूर्व प्रधानपाठक सोहनलाल परमार द्वारा विद्यालय के समस्त छात्रों को अपनी ओर से कापी, पेन और बालपोथी के वितरण समारोह में व्यक्त किए. कार्यक्रम को नगर परिषद उपाध्यक्ष गोपाल कटेसरिया ने भी संबोधित करते हुए इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की. इस अवसर पर परमार ने इस परंपरा को सतत जारी रखने की बात कही. अतिथियों का स्वागत शिक्षक श्यामलाल राठौर, ज्योति सोलंकी, अनीता शुक्ला, प्रेम नारायण पांचाल ने किया. इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश पूरी, शासकीय कन्या उमावि के प्राचार्य दीपक जायसवाल, संदीपनि विद्यालय की प्राचार्या अमिता मूंदड़ा, उत्कृष्ठ विद्यालय के प्राचार्य संजय चेतवानी, पूर्व विकाश खण्ड शिक्षा अधिकारी बी एल चौहान, पेंशनर संघ के अध्यक्ष सूरज सिंह बोडाना, सचिव जीवनलाल पटेल, गायत्री परिवार के सुधीर चौहान, शिवलाल यादव,सुनील सोलंकी आदि उपस्थित थे. इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा परमार का सम्मान किया. संचालन शिक्षक अनिल सोलंकी ने किया. आभार आभा जैन ने माना.

छात्राओं को कॉपी वितरण

देपालपुर. श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट के तत्वाधान में पूर्व विधायक और राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव सत्यनारायण पटेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शासकीय कान्यशाला सीएम राइज स्कूल कक्षा छटी से दसवीं तक की लगभग 500 से अधिक बालिकाओं को निशुल्क कॉपी का वितरण किया गया. संस्था द्वारा एक सादा समारोह आयोजित कर उक्त कार्यक्रम संपन्न कराया गया. इसके अलावा संस्था पदाधिकारियों ने शासकीय हॉस्पिटल में फल बिस्किट वितरण और भोले के भक्त कावडियो का स्वागत भी किया. कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष संतोष ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश बढ़वाया, पूर्व पार्षद आजम खान, पूर्व पार्षद निराला डागर, पूर्व यूंका अध्यक्ष रामचरण दयाल, युवा नेता विजय राठौर, इकबाल मंसूरी, मुकेश पटेल, सतीश पटेल, रामदेव पवार, कृष्णा पटेल, फारूक मंसूरी, शाहिद मंसूरी, चंदन बढ़वाया, संतोष तवर, रमेश बैरागी पूर्व सरपंच आदि सामाजिक और राजनीतिक महानुभाव उपस्थित थे. स्कूल प्रबंधन की ओर से प्राचार्य मूंदड़ा मैडम, मकवाना जी,और जगदीश सातपहाडिया ने विशेष सहयोग प्रदान किया ।

एक नजर — खुदाई में मिले करोड़ों के सोने के सिक्कों की चोरी का मामला

टीआई समेत चार पुलिसकर्मी बरी, फरियादी ही निकले थे आरोपी

विक्रम सेन

आलीराजपुर। ब्रिटिशकालीन 241 सोने के सिक्कों की कथित चोरी का चर्चित मामला न्यायालय में अंततः पुलिसकर्मियों के पक्ष में समाप्त हो गया है। न्यायालय ने सोंडवा थाना प्रभारी विजय देवड़ा सहित तीन अन्य पुलिसकर्मियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

इस मामले ने वर्ष 2023 में प्रदेशभर में सनसनी फैला दी थी, जब सोंडवा थाना क्षेत्र के ग्राम बैजड़ा निवासी रमकूबाई पति कोकलिया ने दावा किया था कि खुदाई के दौरान उन्हें ब्रिटिशकालीन 241 सोने के सिक्के मिले थे, जिन्हें उन्होंने अपने घर के आंगन में छिपा दिया। गांव में चर्चा फैलने पर मामला पुलिस तक पहुंचा।

क्या था आरोप?- दिनांक 19 जुलाई 2023 को थाना प्रभारी विजय देवड़ा, एएसआई नानजी राठौड़, प्रधान आरक्षक अजय मंडलोई और आरक्षक पप्पू डावर बिना वर्दी के घर पहुंचे और फरियादी रमकूबाई व उसके परिजनों को डराकर सिक्के अपने कब्जे में ले गए — ऐसा आरोप लगाया गया।

इस संबंध में ढ्ढक्कष्ट की धारा 379, 323, 506 व स्ष्ट/स्ञ्ज एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। राजनीतिक दलों ने भी थाने पर प्रदर्शन किया, और मामला इतना तूल पकड़ गया कि एसआईटी गठित करनी पड़ी।

फरियादी बने आरोपी, गुजरात पुलिस ने किया खुलासा

इस पूरे घटनाक्रम में नाटकीय मोड़ तब आया, जब फरियादियों को ही सोने के सिक्कों की चोरी के मामले में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नवसारी जिले के बिलीमोरा गांव के शब्बीर भाई की शिकायत पर रमकूबाई, दिनेश, राजू और बाजरीबाई को गिरफ्तार किया गया। गुजरात पुलिस ने इनसे 199 सोने के सिक्के बरामद किए, जो पहले मामले से अलग पाए गए। गुजरात पुलिस की कार्रवाई में आलीराजपुर पुलिस का सहयोग भी रहा। कोर्ट और एसआईटी की जांच में पुलिसकर्मियों को क्लीनचिट

एसआईटी जांच और न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, 241 में से 238 सिक्के फरियादी व उनके परिजनों से ही अलग-अलग समय में बरामद हुए।

कोर्ट में यह प्रमाणित नहीं हो सका कि पुलिसकर्मियों के पास से कोई सिक्का मिला हो या कोई गवाही उनके खिलाफ हो। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा- 卐सिर्फ शक और आरोप के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस आधार पर टीआई विजय देवड़ा, एएसआई नानजी राठौड़, अजय मंडलोई और पप्पू डावर को बरी कर दिया गया। एसआईटी ने भी केस में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि विभागीय जांच अभी लंबित है। 'सोना सिक्का कांड' में अंततः क्या बचा? मीडिया में इन सिक्कों की अनुमानित कीमत 7 करोड़ रुपये बताई गई थी। परंतु इस पूरे प्रकरण में न पुलिस पर आरोप सिद्ध हुआ, न सिक्कों की वास्तविक संख्या तय हो सकी।

सूत्रों के अनुसार, कई सिक्के अब भी कुछ व्यक्तियों के पास हो सकते हैं, इसलिए दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया गया, ताकि विवाद आगे न बढ़े।

यह मामला पुलिस, प्रशासन, राजनीति और जनता के बीच संबंधों की गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। आवश्यकता है कि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित रहे — जैसा इस प्रकरण में हुआ हैं।

हालांकि इस बहुचर्चित मामले में पुलिसकर्मियों को न्याय मिला, लेकिन पुलिस प्रशासन की छवि पर दाग जरूर लगे। उधर फरियादी पक्ष की भूमिका संदिग्ध बनी रही, और अदालत के निर्णय ने साबित कर दिया कि फर्जी आरोपों से न्यायालय अंधा नहीं होता।

शेष सिक्कों के बारे में अब भी रहस्य बना हुआ है - राम जाने!

पर्यावरण संरक्षण के लिए निकली कलश यात्रा

पेटलावद .शनिवार विकासखंड पेटलावद जिला झाबुआ सेक्टर सारंगी के ग्राम गोपालपूरा में नवांकुर सखी कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें हरियाली अमावस्या पर महिलाओं, द्वारा शाशकीय विधालय से शंकर मंदिर तक में नारे लगाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी सखी द्वारा घर से लाए कलश में जल लेकर ग्राम में कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में पर्यावरण संरक्षण के नारे एवं सन्देश देते हुए। ग्राम भ्रमण करते हुए यात्रा भोलेनाथ शिवलिंक पर कलश द्वारा जलाभिषेक किया गया। यात्रा पुनः विद्यालय मैदान पहुंची और वहां सेक्टर प्रभारी राजू सोलंकी द्वारा, नवांकुर सखी योजना की जानकारी विस्तारपूर्वक दी गई। प्रदेश सरकार द्वारा विकास खंड के सभी 5 सेक्टर में हरियाली अमावस्या से इस सखी योजना का आयोजन किया जा रहा है। यह विकासखंड के सभी 5 सेक्टरों में कलश यात्रा के माध्यम जन जन तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने एवं जागरूकता लाने हेतु निकली जायेगी ओर मेंटर अर्चना शेखावत द्वारा सुरजना के पौधे के फायदे बताए गए। ओर सभी नवांकुर सखी को सरपंच साहिबा धनकी भूरिया, भाजपा सारंगी मंडल महामंत्री रामचंद्र जी भूरिया, पंच थावरचंद मकवाना, तेरसिंह भूरिया , प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष दरवेश भूरिया हीरालाल भूरिया, मणिलाल भूरिया, अमरसिंह गणावा , आयदन मकवाना द्वारा सभी सखी बहनों को बीज रोपित थैलियां का वितरण किया गया। एवं इसे संरक्षित रखने आह्वान किया गया। आप अपने परिवार में जन्मदिन, विवाह, एवं अन्य कार्यक्रमों में पौधा रोपण का कार्य करे। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें पर्यावरण को सहज के रखना होगा।ब्लॉक समन्वयक श्री प्रवीण पंवार द्वारा एक पेड़ मां के अभियान अंतर्गत माता बहनों के साथ पौधा रोपण भी किया गया।

इस कार्यक्रम में उपस्थित नवांकुर संस्था प्रमुख राजू सोलंकी, परामर्श दाता श्रीमती अर्चना शेखावत,प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष दरवेश भूरिया,सी एम् सी एल डी पी छात्र छात्राओं, सेक्टर प्रभारी झकनावाद प्रवीण यादव, करवड वकील वसुनिया, बामनिया दिनेश परमार एवं स्थानीय ग्रामीण , सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हमें अपने अंदर व्याप्त कमजोरी को खोजना चाहिए : कल्पदर्शिता

झाबुआ। धर्म हमें करना ही नहीं है वरन उसमें जीना है। जहां हम तुलना करेंगे, शिकायत होगी। तत्पश्चात मन में हीन भावना पैदा होगी, ध्यान के चार प्रकारों में से एक आर्तध्यान के अंतर्गत हीन भावना मस्तिष्क से उत्पन्न होकर हमारे शरीर को प्रभावित करती है। जब भी अकेले जीवन जीने का अवसर आए हमें अपने अंदर व्याप्त कमजोरी को खोजना चाहिए। ध्यान कोई क्रिया नहीं है वरन हमारी सोच है। जो है नहीं उसे दिखाना रौद्र ध्यान है। महत्वाकांक्षी बनना भी इसी श्रेणी में आता है। धर्म ध्यान का अर्थ सकारात्मक सोच है। यह उद्गार स्थानीय बावन जिनालय के उपाश्रय में विराजित साध्वी भगवत कल्पदर्शिताश्रीजी ने व्यक्त किए। साध्वी भगवंत श्री अनुपम दृष्टाश्रीजी ने अपने प्रवचन में कहा कि जिन शासन में जिनवाणी हमारे बीच में है। द्वादशांगी का सार सामयिक में है, समता की साधना है, वर्षा ऋतु में जो काईहरी जम जाती है। उस पर पैर रखने से भी जीव की विराधना होती है। खमासना के अंतर्गत हम बैठते उठते हैं। मनगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति इन तीन के अंतर्गत रहकर हमें समस्त क्रियाएं करना है। महासती मदनरेखा के जीवन चरित्र की व्याख्या करते हुए कहा कि मदन रेखा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर उसको रत्न कंबल ओढाया। छोटी अंगूठी पूजा की अंगुली में पहनाई। सरोवर का जल पिया एवं नवजात शिशु को छोड़कर आगे चलती है। बड़नगर चातुर्मास के लिए विराजित आचार्य भगवंत श्रीमद विजय दिव्यानंद सूरीश्वरजी महाराज एवं झाबुआ के नंदन मुनि भगवंत श्री विधान विजयजी महाराज आदि ठाणा के दर्शन वंदन करने के लिए श्री संघ के तेजप्रकाश कोठारी, राजेश मेहता, रमेश बाठिया, उल्लास जैन, संजय मेहता के साथ 20 श्रावक-श्राविकाओं का दल पहुंचा।

महाविद्यालय में हुआ निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

झाबुआ। स्थानीय शासकीय आदर्श महाविद्यालय में मध्य प्रदेश शासन एवं उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में त्रैमासिक युवा कैलेंडर के परिपालन में प्रभारी प्राचार्य प्रो प्रवीण कुमार उछावर के मार्गदर्शन में कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय में कारगिल विजय दिवस विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 9 प्रतिभागियों ने सहभागिता की, जिसमें प्रथम स्थान महेश सुनार एवं द्वितीय स्थान बहादुर भाबोर ने प्राप्त किया। निर्णायक डॉ. वंदना पारकर थी। कार्यक्रम में प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ पूजा बघेल, प्रो. मुकेश बघेल, प्रो. अंतिमबाला डावर, प्रो. रंगारी डोडवा, प्रो. प्रियंका डुडवे आदि उपस्थित थे।

बलात्कार के दो मामलों में आरोपियों को सुनाया आजीवन सश्रम कारावास

झाबुआ। बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ही मामलों में बालिकाओं को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं बलात्कार के अपराध में आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पहले मामले में घटना के विवरण में बताया गया कि 26 दिसंबर 2016 को पीड़िता की माता द्वारा थाना कालीदेवी उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई की वह अपने बच्चो के साथ उमरकोट बाजार जा रही थी। रास्ते में अभियुक्त कमलेश आया और अपने साथी के साथ मेरी बालिका (पीडिता) को मोटरसायकिल पर जबरदस्ती बैठाकर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पॉक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना निरीक्षक करणसिंह रावत द्वारा की गई। उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायधीश (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), झाबुआ सुभाष सुनहरे द्वारा आरोपी कमलेश पिता दुला को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

दुसरे मामले में भी आरोपी का सजा -दुसरे मामले में घटना का विवरण देते हुए बताया कि 28 अगस्त .2022 को पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ थाना कल्याणपुरा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पिडिता रिपोर्ट दर्ज कराने के सात दिन पूर्व गाय चराने हेतु फुलमाल रोड तरफगई थी। वहां से आरोपी अर्जुन पीडिता को डरा धमकाकर अपने गांव पीपलगोलन ले गया। जहां से पीडिता मौका पाकर अपने माता पिता के पास आ गई। फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक नीलम सिंह द्वारा की गई। प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायधीश एवं विशेष न्यायधीश (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), झाबुआ सुभाष सुनहरे द्वारा आरोपी अर्जुन पिता तेरसिंह को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया। उक्त दोनों ही प्रकरण का प्रतिनिधित्व मनीषा मुवेल विशेष लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।

टीम ने मानव श्रृंखला बनाकर किया जागरूकता अभियान

झाबुआ। मध्यप्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत 26 जुलाई को मिशन माध्यमिक विद्यालय छोटी धमनी, ग्राम टिमरु पाड़ा एवं ग्राम बामनिया में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस अवसर पर झाबुआ पुलिस की रक्षा सखी टीम द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों व नागरिकों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव, मानसिक एवं शारीरिक क्षति, और समाज पर इसके नकारात्मक प्रभावों की जानकारी दी। विशेष रूप से युवाओं को नशे से दूर रहने, सकारात्मक जीवनशैली अपनाने तथा दूसरों को भी प्रेरित करने का संदेश दिया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल के नेतृत्व एवं अति. पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया के मार्गदर्शन में जिलेभर में प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। जन-जागरूकता फैलाने हेतु सोशल मीडिया, हस्ताक्षर अभियान, रंगोली, ड्राइंग प्रतियोगिताएं, लघु फिल्में और संवाद कार्यक्रम जैसे विविध माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। रक्षा सखी टीम ने लोगों को यह संदेश दिया कि नशा सिर्फव्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और इस अभियान से जुड़ने की शपथ ली। गायत्री परिवार, उदय सामाजिक विकास संस्थान जैसी सामाजिक संस्थाएं भी इस पहल में सक्रिय सहयोग कर रही हैं। झाबुआ पुलिस का यह प्रयास समाज में नशामुक्ति की दिशा में एक सकारात्मक एवं प्रेरणादायी कदम है।